[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. ७/२०१७- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, माल की पूर्ति पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविषटि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्गहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है । सारणी

माल की पूर्ति का विवरण टैरिफ क्रम मद, सं. उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय (2) (1)(3)सीएसडी द्वारा यूनिट रन केंटीन को माल की पूर्ति । कोई अध्याय 1. सीएसडी द्वारा प्रांधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति । कोई अध्याय कोई अध्याय यनिट रन केंटीन द्वारा प्राधिकत उपभोक्ताओं को माल की पर्ति ।

स्पष्टीकरण—

- (1) इस अधिसूचना में, ``टैरिफ मद'', ``उपशीर्ष'', ``शीर्ष'' और ``अध्याय'' से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
- 2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी) अवर सचिव, भारत सरकार